# समाहरणालय, दरभंगा

## (जिला नजारत शाखा)

## किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा

समाहरणालय एवं संबंद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए समय–समय पर चार पहिया वाहन किराया पर मासिक/दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता दिनांक– ........२२/१२/१४.. को ....१०.१५.. बजे अपराह्न तक मोहर बंद निविदा निम्नांकित शर्त्तानुसार नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ट में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट आदि के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं।

1. वाहन का प्रकार–(A) टाटा सुमो/बोलेरो (ए0सी0 रहित एवं ए0सी0 सहित) (B) जाईलो/स्कॉर्पियो/अन्य उत्कृष्ट वाहन (ए0सी0 सहित)
2. अग्रधन की राशि मो0–5,000.00 (पाँच हजार) रूपये का जिला नजारत से नाजिर रसीद प्राप्त कर तकनीकि निविदा के साथ मूल रूप में देना अनिवार्य होगा।
3. वाहन का दर चालक सहित होगा। चालक का भुगतान मालिक द्वारा किया जाएगा।
4. वाहन पाँच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए तथा रख–रखाव /बीमा वाहन मालिक को करना होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहन अथवा वाहन चालक के कारण उत्पन्न वैधिक दायित्वों के लिए भाड़ा पर लेने वाला विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन मालिक/आपूर्तिकर्त्ता को प्रत्येक माह में 1000 (एक हजार) किलोमीटर के परिचालन के लिए निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा। किसी माह में 1000 (एक हजार) किलोमीटर से अधिक वाहन परिचालन होने की स्थिति में 10 किलोमीटर प्रति लीटर गणना करने के पश्चात ईधन का मूल्य जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके लिए गाड़ी का माइलेज (किलो मीटर ) में अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. वाहन मालिक को वाणिज्यकर/सेवा कर के अन्तर्गत नियामानुसार निबंधित होना होगा। यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निबंधित नहीं हो तो आपूर्तिकर्त्ता को आदेश निर्गत होने की तिथि के एक माह के अंदर वाहन का निबंधन करा लेना होगा।
7. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बंद लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
8. तकनीकि निविदा में वाहन का अद्यतन फिटनेश प्रमाण–पत्र/सेवाकर निबंधन प्रमाण–पत्र/ वाणिज्यकर अद्यतन चुकता प्रमाण–पत्र / वाहन का व्यवसायिक कार्य संबंधी परिवहन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र /आयकर पैन कार्ड एवं आयकर रिटर्न–2013–2014 की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति/काली सूची में दर्ज नहीं होने का फोटोयुक्त शपथ–पत्र संलग्न करना होगा तथा वाहन किसी बीमा कम्पनी से बीमित हो इसकी भी छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. वित्तीय निविदा में जो दर अंकित किया जाएगा उस में सेवा कर एवं अन्य सभी तरह के कर सम्मिलित रहेंगे।
10. वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/ आपूर्तिकर्त्ता का दायित्व होगा कि तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे अन्यथा निर्धारित राशि में कटौती कर ली जायेगी।

11. भाड़ा पर वाहन चालन प्रारम्भ करने के पूर्व वाहन के फिटनेश की जाँच प्रत्येक वाहन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जिला के मोटरयान निरीक्षक भी सदस्य रहेंगे।
12. निविदा खोलने के समय निविदा–दाता अथवा उनके प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों/ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति के साथ भाग ले सकते हैं।
13. **www.Darbhanga.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
14. सभी प्राप्त निविदाओं को दिनांक–......29.12.15...... को ......3 00...... बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।